कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : 14293-14297 दिनांक : 24-8-20

कार्यालय आदेश

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा (उत्तर) के न्यायालय को दो दिवस तक बन्द रखने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा का पत्र क्रमांक एफ–69/कोरोना/2020/6991 दिनांक 24.08.2020 न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (उत्तर) को प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार के Ministry of Health & Family Welfare द्वारा दिनांक 04.06.2020 को जारी SOP on preventive measures to contain spread of COVID-19 in offices के क्रम संख्या 6 Closure of workplace के मुताबिक, चूंकि उक्त न्यायालय के दो से अधिक कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, इस कारण से न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (उत्तर) का न्यायालय व कार्यालय 48 घण्टे बन्द रखना आवश्यक है और उस दौरान disinfection करवाया जाना भी आवश्यक है।

SOP में स्टाफ को work from home किए जाने का भी प्रावधान है परन्तु न्यायिक कार्य में दीवानी प्रकृति के वाद लिमिटेशन के तहत पेश होते हैं तथा अन्य आवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य होते हैं, इसको देखते हुए घर पर यह कार्य करवाया उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय परिसर में ही अन्य न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1 कोटा के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है, उस रिक्त न्यायालय का उपयोग आवश्यक कार्य हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है तथा न्यायालय का स्टाफ, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1 के स्टेनो रूम में बैठकर कार्य कर सकता है।

अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के उक्त पत्र तथा भारत सरकार द्वारा जारी उक्त SOP के क्रम में आदेश दिया जाता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (उत्तर) का न्यायालय व कार्यालय आज व कल दिनांक 24 व 25 अगस्त, 2020 कुल दो दिवस तक बन्द रखा जावे व नगर निगम कोटा से सेनेटाईज/डिस्इन्फेक्टेड करवाना न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा (उत्तर) द्वारा सुनिश्चित करवाया जाए।

24/8/20

उक्त दो दिवस न्यायालय व कार्यालय बन्द रहने के दौरान उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनकी कोविड–19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वे वर्तमान में रिक्त चल रहे न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–1 कोटा के अवकाशागार व इजलास का आवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य हेतु प्रयोग करें तथा उनका स्टाफ, जिनकी कोविड–19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वे न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–1 कोटा के स्टेनो रूम में बैठकर कार्य करेंगे एवं आज व कल की पेशियों में नियत नियमित पत्रावलियों में आगामी पेशियां नियत की जाएं और उन्हें सी.आई.एस. में अपडेट कर दिया जाए। पत्रावलियों में आज व कल फर्द अहकाम न लिखी जाए, आगामी पेशी पर इस सम्बन्ध में नियमानुसार पत्रावलियों में फर्द अहकाम लिखी जाए।

उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए।

Sd/- 24/8/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

कमांक : 14293-14297 दिनांक : 24-8-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा
2. न्या. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–1, कोटा
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (उत्तर)
4. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद कोटा
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, कोटा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

Sd/- 24/8/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा